प्रकाशन के लिए स्वीकृत
न्यूट्रल साइटेशन नं.–2023:AHC:193413
सुरक्षित करने की तिथि–२६.०९.२०२३
परिदत्त करने की तिथि – ०९.१०.२०२३

समक्ष उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

कोर्ट सं०: ४८

वाद: रिट-'बी' संख्या. - ३३६९ सन् २०२३

प्रार्थी ..... अनिल कुमार यादव

याची की ओर से : हरेन्द्र प्रसाद यादव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी ..... उत्तर प्रदेश सरकार एवं दो अन्य

प्रत्यर्थी की ओर से : सुरजीत सिंह, अधिवक्ता
ए.के.राय, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता

माननीय सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति

(१). तथ्यात्मक पृष्ठभूमिः-

(क). आज्ञापत्र याचिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार एक मु० बिछियां बेवा बीरबल (वर्तमान याचिका में पक्षकार नहीं है) ने धारा ५ (१)(ग) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक १६.०९.८२, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सदर, आजमगढ़ के समक्ष इस आशय से दाखिल किया, कि वो खाता नं० ४३ की आराजिया स्थिति ग्राम चक खैरूल्ला मजकूर पर बतौर भूमिधरी की अराजियात है और अपनें खाते की आराजियात (खाता नं० ४३, नम्बर ३८, १३मि/२ रकबा- ७५८, ८८८) के विक्रय लिए अनुमति की प्रार्थना करी है। प्रार्थना पत्र के तथ्य निम्न हैः-

" *प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ५ ग च, एक्ट मौजा चक खैरूल्लहा तथा हरिवंशपुर परगना निजामाबाद तहसील सदर जिला आजमगढ़ बदमाल जैल है।*

१. यह कि खाता नं० ४३ की आराजियत स्थिति ग्राम चक खैरूल्ला मजकूर हम वादीनी की भूमिधरी की अराजियात है। जिस पर हम वादिनी बतौर भूमिधरी की अराजियत है जिस पर हम वादिनी बतौर भूमिधर जरीया नीज जोल काबिज दाखिल आती है।

२. यह कि हम वादीनी के पास काफी कर्ज हो गया है तथा बेल खरीदना नेहायत जरूरी है। जिसकी वजह से हम वादिनी अपनी उपरोक्त अराजियात को बेचना चाहती है। बगैर उक्त अराजियात के बेचा हम प्रार्थीनी की जरूरत रफा नहीं हो सकती है।

३. यह कि हम वादिनी नेहायत ही गरीब तथा बेवी बेबस औरत है सिवाय उक्त आराजियात के बेचने कोई दूसरा सहारा कर्ज अदा करने के लिये नहीं है।

४. यह कि उपरोक्त कारणों से प्रार्थना है कि हम वादिनी को अपने खाते की आराजियात को बेचने के लिये इजाजत दिया जावे ताकि हकरसी हो।

तहसील अराजियात नेजाई बाका मौजा चकखैरूल्लाह तप्पा निजामाबाद तहसील सदर जिला आजमगढ़।

मेरा नकल खतौनी है:-

खाता नं०-४३ नम्बर ३८, १३४/२ रकबा-७५८,८८८

मु. बिछिया बेवा बीरबल सा. चकखैरूल्ला परगना निजामाबाद तहसील सदर आजमगढ़।"

(ख). उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने अपने आदेश दिनांक २१.९.८२ के द्वारा गाटा नं० ३८/७५८, १३मि./२/८८८ के संपूर्ण अंश विक्रय करने की अनुमति प्रदान करी। विक्रय हेतु अनुमति आदेश निम्न हैः-

" ग्राम चक खैरूल्लाह का धारा ९ के अंतर्गत अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है। अभिलेख के आधार पर गाटा नं० ३८/७५८, १३मि./२/८८८ के संपूर्ण अंश को विक्रय अनुमति से चकबंदी क्रिया पर प्रभाव नहीं पडेगा। "

(ग). उपरोक्त अनुमति के प्राप्त होने के उपरान्त मु. बिछियां बेवा बीरबल ने एक विक्रय पत्र दिनाँक २९.१०.१९८२ , निम्न के पक्ष में निम्न अंशो के अनुसार निष्पादित कियाः-

अन्तलाल वल्द दूधनाथ (२/१५ अंश), श्यामलाल वल्द बिकायल उर्फ बिकरमा (२/१५ अंश), केदार वल्द छछू (२/१५ अंश), दुखहरन वल्द परसोत्तम (२/१५ अंश) चन्द देव वल्द नरोत्तम (२/१५ अंश), राम दुलार वल्द अनंत लाल (१/१५ अंश) व मोतीलाल यादव वल्द फूलचन्द यादव (४/१५ अंश) विक्रय पत्र की एक प्रति वर्तमान याचिका के साथ संलग्न की गयी है।

(घ). तदोपरान्त अरविन्द कुमार उर्फ अशोक कुमार (प्रत्यर्थी संख्या- ३) व उसके पिता राम निहोर ने एक पुनर्स्थापना प्रार्थना

पत्र, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सदर, आजमगढ़ के समक्ष उपरोक्त वर्णित आदेश दिनाँक २१.०९.८८ के विरूद्ध दायर किया, कि आराजी निजाई (मु. बिछियां) की भूमिधरी नही है और बैनामा के उपरान्त दाखिल खारिज का आदेश, उप संचालक चकबन्दी के आदेश दिनांक १.०५.८३ द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आराजी निजाई के संबंध मे एक वाद धारा ९-क(२), चकबंदी अधिकारी के न्यायालय के अंतर्गत चल रहा है।

(ङ). उपरोक्त पुनर्स्थापना पत्र, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने आदेश दिनांक ५.१०.८३ द्वारा मुख्यतः इस आधार पर निरस्त कर दिया कि, प्रार्थना पत्र न केवल मियाद बाहर है बल्कि विक्रय की अनुमति के प्रार्थना पत्र के समय, आवेदक ने विरोध करने के लिये कोई भी प्रार्थना पत्र दाखिल नही किया था। आदेश के महत्वपूर्ण अंश निम्न हैः-

> *" बैनामा करने की अनुमति का आदेश दिनांक २१.०९.८२ का है। यह कायमी का प्रार्थना पत्र दिनांक १७.१२.८२ व १६.०५.८३ को दिया गया है जो मियाद बाहर है। मु० बिछियां की तरफ से आर०डी० १०८३ पेज १०१ पर दर्ज नजीर दिखाई गयी है जिसमे यह व्यवस्था की गयी है कि बैनामा करने की अनुमति देते समय केवल यह देखा जाना है कि बैनामा करने की अनुमति देने से चकबन्दी क्रिया पर कोई प्रभाव नही पडेगा। धारा ५ग मे टाईटिल के ऊपर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि मु० बिछियां ने अनुमति लेकर आराजी निजाई का बैनामा कर दिया है तो*

अन्तर्गत धारा ९क(२) हक के मुकदमें से यह निर्णय होता है कि मु० बिछिया आराजी निजाई की भूमिधर नहीं है तो उसके द्वारा किया गया बैनामा भी अवैध माना जायेगा। मु० बिछिया द्वारा किये गये बैनामा के आधार पर क्रयदारान को कोई हक प्राप्त नहीं होगा जब तक हक के मुकदमें से यह साबित न हो जाय कि आराजी निजाई की भूमिधर है। जिस समय मु० बिछिया ने बैनामा करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, उस सय तजवीज सानी कर्तागण ने कोई प्रार्थना पत्र दिया था। अतः इस आदेश के विरूद्ध उनको कायमी का प्रार्थना पत्र देने का भी अधिकार नही है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र कायमी राम निहोर व अरविन्द कुमार खारिज किया जाता है।"

(च). प्रत्यर्थी संख्या ३ ने उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक ०५.१०.८३ से क्षुब्ध होने के कारण, उप संचालक चकबन्दी, आजमगढ के समक्ष, निगरानी संख्या ९२० अंतर्गत धारा ४८, जोत चकबन्दी अधिनियम के अंतर्गत दायर करी। जो आदेश दिनांक २६.०६.९१ द्वारा स्वीकार कर ली गयी व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक ०५.१०.८३ व २१.०९.८२ दोनो ही निरस्त कर दिये गये। दौरान कार्यवाही, निगरानी में विपक्षीगण (मु. बिछियां) नोटिस तामीला होने के उपरान्त भी उपस्थित नही रही। निरस्त करने का प्रमुख कारण पक्षों के मध्य

वरासत के संबंध में चकबन्दी अधिकारी के समक्ष एक वाद विचाराधीन था, का तथ्य रहा। आदेश के प्रमुख अंश निम्न हैः-

" विपक्षीगण को नोटिस दी गयी। आब तामीला नोटिस विपक्षीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। मैने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस भी प्रस्तुत किया है जो शामिल मिसिल है। मैने पत्रावली का भी अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में बताया कि अरबिन्द निगरानीकर्ता बीरबल का एक मात्र पुत्र तथा वारिस है, इस संबंध में उनके द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा छात्र प्रमाण पत्र दाखिल किए गए है। मु० बिछिया के संबंध मे वरासत का आदेश गलत है और इस संबंध में वाद विचाराधीन है, दौरान मुकदमा बिछिया द्वारा बैनामा की अनुमति लेना या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनियमित है। इस प्रकार बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा दी गयी अनुमति आदेश तथा बिछियां द्वारा प्रस्तुत इस संबंध में आवेदन पत्र निरस्त होने योग्य है।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली के अवलोकन से, स्पष्ट है कि वरासत के संबंध में चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में वाद विचाराधीन है। इसी बीच विवादित भूमि को बैनामा करने का कोई औचित्य नहीं है और इस संबंध में

अनुमति प्राप्त करने का भी कोई औचित्य नहीं है। मैं विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से सहमत हूँ।

अतः निगरानी स्वीकार की जाती है, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी का आदेश दिनांक ०५.१०.८३ व २१.०९.८२ निरस्त किए जाते है।"

(छ). तदोपरान्त मु. बिछिया ने दो तजवीजसानी प्रार्थना पत्र (निगरानी संख्या ५६ व २९४) की पत्रावली पर दिनांक २५.०७.१९९१ को उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक २६.०६.१९९१ के विरूद्ध उप संचालक चकबन्दी, आजमगढ़ के समक्ष दायर करे, जो आदेश दिनांक १२.०१.९३ स्वीकार कर लिये गये और निगरानी पत्रावली पर बहस के लिए तिथि निर्धारित भी की गयी। आदेश के अनुसार मु. बिछिया पर निगरानी के नोटिस की तामीला पर्याप्त नही थी। आदेश के मुख्य अंश निम्न हैः-

" *उपरोक्त दोनों तजबीजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक २६.०६.९१ को पारित इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध मु० बिछिया द्वारा प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आदेश दिनांक २१.०९.८२ को इजाजत लेकर विवादित नम्बरान का बैनामा बहक अन्तलाल कर दिया था। आदेश दिनांक २१.०९.८२ के इजाजतनामा के विरूद्ध अरविन्द कुमार तथा उनके पिता राम निहोर ने आपत्ति प्रस्तुत की थी जो निराधार पाई गई और मुकदमा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी निरस्त हो गया क्योकि कोई नोटिस अथवा सम्मन प्रार्थिनी को नहीं मिला था। प्रार्थिनी को उक्त एक पक्षीय*

आदेश की जानकारी नहीं थी, प्रार्थिनी, अनपढ़, गवांर तथा विधवा औरत है, वह बीरबल की एक मात्र कानूनी व जायज वारिस है, वह बीरबल की जायज व कानूनी वारिस है, बीरबल के कोई औलाद नही है, प्रार्थिनी के अलावा उसकी कोई विधवा स्त्री व वारिस नहीं है, आपस में राम निहोर और अरबिन्द कुछ बात कर रहे थे और किसी के डिक्री होने की बात कर रहे थे, प्रार्थिनी को शंका हुई तो राम निहोर ने कहा कि बैनामा मन्सूखा हो गया है, उसने जानकारी होने के पश्चात आदेश की जानकारी की और तजबीज सानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। अन्त मे उसने कहा कि देरी को माफ करते हुये एकपक्षीय आदेश दिनांक २६.०६.९१ निरस्त किया जावे तथा इजाजतनामा का आदेश दिनांक २१.०९.८२ यथावत रखा जावे।

२- इस तजबीजसानी प्रार्थना पत्र के विरूद्ध राम निहोर व अरबिन्द की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि आदेश दिनांक २६.०६.९१ पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा पक्षों को सुनने के उपरांत पारित किया गया है, उक्त आदेश एकपक्षीय आदेश नहीं है। अतः प्रस्तुत तजबीज सानी प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि दरखास्त तजबीजसानी कालबाधित है, विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई सन्तोषजनक कारण नहीं दिया गया है और प्रार्थिनी तजबीजसानी प्रार्थना पत्र में विलम्ब का लाभ दिये जाने की मुस्तहक नहीं है।

३- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

४- दोनों ही पत्रावलियों पर उपलब्ध इस न्यायालय में यह उल्लेख किया गया है कि विपक्षीगण को नोटिस दी गई किन्तु बावजूद तामीला नोटिस विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नही है और इस प्रकार निगरानी कर्ता की एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध तामीला नोटिस दिनांक ०४.०१.९१ के अवलोकन से स्पष्ट है कि नोटिस पर निशानी अंगूठा मु० बिछिया का लगाया गया है किन्तु नोटिस पर चपरासी द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि बहलफ ब्यान करता हूँ कि मु० बिछिया मौके पर नहीं मिली, एक किता नोटिस सहन दरवाजे पर चस्पा किया। दौरान बहस प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि नोटिस पर मु० बिछिया का निशानी अंगूठा फर्जी है और इस प्रकार बिछिया को नोटिस का तामीला नहीं कराया गया है। इसलिये इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक २६.०६.९१ बिछिया के विरूद्ध एकपक्षीय है।

५- उपरोक्त आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थिनी बिछिया पर पर्याप्त नही थी इसलिये इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश २६.०६.९१ बिछिया के विरूद्ध एकपक्षीय है और नियमानुसार बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये

हुये पारित किया गया है। प्रार्थिनी सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिये बाजदायरा प्रार्थना पत्र दिनांक १५.०७.९१ स्वीकार किया जाता है। यह आदेश दूसरी निगरानी में प्रस्तुत बिछिया के तजबीजसानी प्रार्थना पर भी लागू होगा। पत्रावली बास्ते बहस दिनांक २८.०१.९३ को पेश हो।"

(ज). याचिका के पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजो से यह विदित होता है, कि निगरानी की कार्यवाही के दौरान, उप संचालक चकबन्दी ने आदेश दिनांक २०.०२.९६ व ०३.०९.९६ पारित किये, परन्तु प्रार्थी ने उनकी प्रतिलिपि याचिका के साथ संलग्न नही की है, जिसके कारण उक्त आदेश के तथ्यों से यह न्यायालय पूर्ण रूप से अवगत नही हो पाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि निगरानी, निगरानी कर्ता की अनुपस्थिति में २०.०२.९६ को खारिज कर दी गयी थी। उसके विरूद्ध एक पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र २०.०२.९६ को ही दायर किया गया, और यह की एक निगरानी संख्या ५६, निहोर आदि ने भी दायर की थी।

(झ). उपरोक्त के क्रम में केदार, अन्तलाल, चन्द्र देव, श्यामलाल, मु० बिछिया के द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक तजबीजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक २१.०९.९६ को दायर की गयी जो निम्न हैः-

" बअदालत श्रीमान डी०डी०सी० महोदय, आजमगढ़।

मु०न०

राम निहोर आदि	*निगरानी*	*अन्तर्गत*
बनाम	*धारा*	*४८(२)*

बिछिया आदि *च०अ०*
मौजा चक खैरूल्ला
परगना
निजामाबाद,
तहसीलदार जिला
आजमगढ़।

दरखास्त तजबीजसानी मिनजानिब केदार आदि विरूद्ध आदेश दिनांक ०३.०९.९६ पारित ऊपर प्रार्थना पत्र तजबीजसानी मनोज कुमार आदि

उपरोक्त मुकदमा में निवेदन है, कि बहस की तिथि २०.०२.९६ को निगरानीकर्ता गण उपस्थित नही थे, और प्रार्थीगण, विपक्षीगण मय अपने अधिवक्ता के बहस के लिए उपस्थित थे। हम प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित थे न्यायालय ने आदेश प्रार्थीगण के अधिवक्ता की मौजूदगी मे पारित किया, आदेश उपरोक्त के विरूद्ध मनोज आदि ने झूठ ब्यानात के साथ तजबीजसानी दाखिल किया जो बिना प्रार्थीगण को नोटिस दिए स्वीकार हो गई, न्यायालय को भी धोखा किया गया, क्योकि प्रार्थीगण को उक्त तजबीजसानी की कोई सूचना नही थी, एक निगरानी अरविन्द बनाद बिछियां ने आज दिनांक २१.०९.९६ बहस की तारीख है, इसी मिसिल का मुआईना करने के लिए कल दिनांक- २०.०९.९६ को प्रार्थी के अधिवक्ता ने मुआइने के लिए मिसिल मांगी, राम निहोर बनाम बिछियां फाईल भी साथ मे निकली, आदेश दिनांक ०३.०९.९६ के बारे मे बाद मुआईना

जानकारी हुई, कल शाम हो गई थी, इसलिए आज तजबीजसानी दाखिल की जा रही है। आदेश दिनांक ०३.०९.९६ बिल्कुल एक पक्षीय है, बिना प्रार्थीगण को सुने हुए पारित किया गया है जो लायके मंसूखी है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि दरखास्त स्वीकार की जाय, आदेश एकपक्षीय दिनांक ०३.०९.९६ निरस्त किया जाय, प्रार्थीगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रार्थना पत्र उपरोक्त गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जाय।

प्रार्थीगण

केदार , अन्तलाल, चन्द्रदेव, श्यामलाल

मु० बिछिया

दिनांक-२१.०९.९६"

(ञ). उप संचालक चकबंदी ने आदेश ०९.०५.९७ द्वारा उपरोक्त पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और आदेश दिनांक ०३.०९.९६ खंड़ित किया और पक्ष तजबीजसानी विरूद्ध आदेश २०.०२.९६ दिनांकित २४.०२.९६ के संबंध में गुण दोष पर बहस के लिए २३.०५.९७ को तिथि निर्धारित करी, आदेश को पूर्ण रूप से निम्न उदीर्णित किया जा रहा हैः-

" *यह पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र केदार आदि ने उप संचालक चकबन्दी के आदेश दिनांक ०३.०९.९६ के विरूद्ध किया है कि उक्त मुकदमा में आदेश दिनांक*

०३.०९.९६ उसके विरूद्ध एकपक्षीय है और अदालत को धोखा देकर पारित कराया गया है हम प्रार्थीगण को कोई जानकारी उक्त पत्रावली के बारे में नही थी। अरविन्द बनाम बिछियां को पत्रावली आज बहस के लिये निकली तो दिनांक २०.०९.९६ को उक्त पत्रावली की जानकारी हुई कि राम निहोर का लड़का अरविन्द है। और राम निहोर के हरगिज मनोज कुमार आदि तनहा वारिस नही है। प्रार्थना किया है कि पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाय और एकपक्षीय आदेश दिनांक ०३.०९.९६ निरस्त किया जाय। प्रार्थी को सुनवायी का अवसर देते हुए निगरानी का निस्तारण गुणदोष पर किया जाय।

इस पर मैने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन ध्यानपूर्वक किया।

तजवीजसानी कर्ता केदार आदि के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क करते हुए बताया कि आदेश ०३.०९.९६ त्रुटिपूर्ण ढंग से पारित किया गया है और बिना तजवीजसानी कर्ता गण को सुने ही पारित कर दिया गया है चूंकि २०.०२.९६ को मूल निगरानी में तजवीजसानी कर्ता बिछियां आदि उपस्थित थे और निगरानीकर्ता निहोर आदि उपस्थित नही थे। राम निहोर मृतक हो गया थे तथापि उनका कोई वारिस न आये थे इसलिये निगरानी, निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में

२०.०२.९६ को खारिज कर थी और २०.०२.९६ के आदेश के विरूद्ध २५.०२.९६ को एक प्रतिस्थापन पत्र धर्मदेव व राधा देवी की तरफ से दिया गया तथा एक दूसरा प्रार्थना पत्र शरकचन्द्र, समशेर, रणधीर व सुवाषचन्द्र की तरफ से पडा, धर्मदेव व राधा देवी द्वारा यह कहा गया कि वह निगरानीकर्ता राम सिंह मृतक का वारिस है तथा उन्हें उनके स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाय और आदेश २०.०२.९६ निरस्त करके मूल निगरानी में गुणदोष पर सुनवाई किया जाय। जिस पर उन्होने मृतक राम निहोर के स्थान पर ०३.०९.९६ को प्रतिस्थापित कर दिया गया और साथ ही २०.०२.९६ को आदेश निरस्त कर मूल निगरानी में गुणदोष पर सुनवायी हेतु दूसरी तिथि नियत हो जब कि तजवीजसानी कर्ता केदार और बिछियां आदि आदेश दिनांक २०.०२.९६ को आदेश पारित करते समय उपस्थित थे। कोई सम्मन नोटिस आदि नही भेजा गया तो स्पष्ट है कि आदेश ०३.०९.९६ बिना सुनवायी के पारित है अतः उसे निरस्त किया जाना तथा तजवीजसानी (अस्पष्ट) के विरूद्ध गुण दोष पर सुनवायी के उपरान्त ही आदेश पारित किया जाना उचित होगा।

इस पर तजवीजसानी कर्ता धर्मदेव व राधा देवी विपक्षीगण की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि मात्र प्रतिस्थापन का आदेश हुआ है। मृतक के विरूद्ध आदेश पारित नही हो सकता और तदुपरान्त एक पक्षीय आदेश निरस्त कर मूल वाद में गुणदोष पर सुनवायी हेतु तिथि

नियत है तो इसमें कोई अनियमितता नही है और उभय पक्ष को सुनवायी हेतु प्राप्त होगा।

उक्त तर्कों पर सम्यक विचारोपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि मृतक के प्रतिस्थापन के विषय में ही जब विवाद है और वह आदेश तजवीजसानी कर्ता को बिना सूचना दिये पारित किया गया है तो निश्चित रूप से यह त्रुटिपूर्ण है और उसे दूर करने के लिये आदेश दिनांक ०३.०९.९६ निरस्त किया जाना तथा पत्रावली तजवीजसानी दिनांक २४.०२.९६ पर उभय पक्षों की सुनवायी का अवसर दिया जाना उचित होगा।

<u>आदेश</u>

अतः तजवीजसानी केदार आदि २१.०९.९६ स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक ०३.०९.९६ निरस्त किया जाता है पक्ष तजवीजसानी विरूद्ध आदेश २०.०२.९६ दिनांकित २४.०२.९६ के सम्बन्ध में गुण दोष पर बहस करें पत्रावली २३.०५.९७ को पेश हो।"

(ट). इसी क्रम मे ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त दोनों निगरानी में एक आदेश दिनांक २०.१२.२००० निगरानी कर्ता की अनुपस्थिति में पारित किया गया। याची ने आदेश दिनांक २०.१२.२००० की प्रति इस याचिका के साथ संलग्न नही की है और यह भी प्रतीत होता है कि निगरानी कर्ता (प्रतिवादी संख्या- ३) ने एक पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र दिनांक २०.१२.२००० को दायर किया। उप संचालक चकबन्दी ने आदेश दिनांक ०८.०५.२३ द्वारा पूर्व में पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक २०.१२.२००० निरस्त कर दिया व

आदेशित किया कि, पक्षगण मूल पर सुनवाई हेतु दिनांक २५.०६.२०२३ को उपस्थित हो। आदेश निम्न उद्दीर्णित किया गया हैः-

" *आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अनुशीलन किया गया। यह तजवीजसानी अरविन्द द्वारा आदेश दिनांक २०.१२.२००० के विरूद्ध दिनांक २०.१२.२००० को अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी। आलोच्य आदेश दिनांक २०.१२.२००० की पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल आदेश दिनांक २०.१२.२००० को पारित किया गया है, चूंकि आदेश दिनांक २०.०१.२००० निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में पारित किया गया है, इसलिए एकपक्षीय है। निरस्त होने योग्य है। अतः तजवीजसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।*

<u>आदेश</u>

उपरोक्त निर्णय के आधार पर तजवीजसानी प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। एकपक्षीय आदेश दिनांक २०.१२.२००० निरस्त किया जाता है। पक्षगण मूल पर सुनवाई हेतु दिनांक १५.०६.२०२३ को उपस्थित हो।

दिनांक- ०८.०५.२०२३

ह० अप०

(जे०पी० सिंह)

उप संचालक चकबन्दी (न्या०)

आजमगढ़।"

(ठ). उपरोक्त के उपरांत, उप संचालक चकबंदी, आजमगढ़ ने आदेश दिनांक १७.०६.२०२३ द्वारा प्रत्यार्थी संख्या ३ द्वारा दायर निगरानी पर सभी पक्षों को श्रवण कर गुण दोष पर निर्णित किया और पुनः यह निर्धारित किया कि, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा आदेश दिनांक २१.०९.१९८२ (जिसके द्वारा मु० बिछियां को विक्रय करने की अनुमति प्रदान करी थी) व आदेश दिनांक ०५.१०.१९९३ (जिसके द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा दायर पुनर्स्थापना पत्र भी निरस्त कर दिया था) नियमानुसार पारित न होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अतः निरस्त किये गये। उपरोक्त आदेश पूर्ण रूप से निम्न अद्दीर्णित किया जा रहा हैः-

> " *आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा की गयी बहस का अनुशीलन किया गया। यह निगरानी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश दिनांक ०५.१०.१९८३ के विरूद्ध दिनांक २७.१२.१९९० को कालबाधित प्रस्तुत की गयी है। आदेश दिनांक २६.०६.१९९१ द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए बन्दोबस्त अधिकारी का आदेश दिनांक ०५.१०.१९८३ एवं २१.०९.१९८२ निरस्त कर दिया गया। निगरानी में मूल विवाद यह है कि बीरबल मृतक के स्थान पर वारिसी को लेकर अरविन्द कुमार बतौर पुत्र दावा कर*

रहा था एवं मु० बिछिया बतौर पत्नी दावा कर रही थी। अभी विवाद प्रचलित था। तब तक विछियां 'को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने आलोच्य आदेश द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गयी एवं निगरानीकर्ता की आपत्ति को खारिज कर दिया गया। दिनांक २६.०६.१९९१ को निगरानी को स्वीकार की गयी एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आलोच्य आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए निगरानी पर प्रकरण कायम किया गया। निगरानी पुनः दिनांक २०.१२.२००० को अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी, जिसके विरूद्ध तजवीजसानी प्रार्थना पत्र किया। जिसे स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक ०८.०५.२०२३ द्वारा निगरानी को मूल पर कायम किया गया। निगरानी में विवाद मात्र विक्रय की अनुमति देने को लेकर है। जब अनुमति प्रदान की गयी तत्समय बीरबल का कौन उत्तराधिकारी है। यह अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो था इसलिए बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा विक्रय की अनुमति देने के कारण अनावश्यक विवाद को बढ़ावा मिला। अतः बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा दी गयी अनुमति नियमानुसार नहीं थी । अतः निगरानी स्वीकार करते हुए पूर्व पारित आदेश दिनांक २६.०६.१९९१

यथावत् रखा जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।"

(रेखांकित अंश को न्यायालय द्वारा प्रमुखता दी गई है।)

(ड). उपरोक्त आदेश दिनांक १७.०७.२०२३ व २६.०६.१९९१ जो उप संचालक चकबन्दी द्वारा पारित किये गये है, वर्तमान याचिका के माध्यम से आक्षेपित किये गये हैं।

(ढ). यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उप संचालक चकबन्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक १७.०६.२०२३ से निगरानी को गुण दोष पर पारित किया गया है, इस कारण से उक्त आदेश में यह उल्लेख करना कि, पूर्व में पारित आदेश दिनांक २६.०६.१९९१ यथावत् रखा जाता है, अनावश्यक था, क्योकि वो आदेश पूर्व में ही आदेश दिनांक १२.०१.१९९३ द्वारा निरस्त किया जा चुका था, और निगरानी पुनः गुण दोष पर निर्णित की गयी है, अतः आदेश दिनांक २६.०६.१९९१ को आक्षेपित करने की आवश्यकता नही है और पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस, आक्षेपित आदेश दिनांक २७.०६.२०२३ के संबंध में ही सुनी गयी है। यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि वर्तमान याचिका मात्र अनिल कुमार यादव पुत्र मोती लाल यादव (केवल एक क्रेता) के द्वारा दायर की गयी है और याचिका में न ही अन्य क्रेतागण व मु० बिछियां (विक्रेता) को ही पक्षकार बनाया गया है, जबकि निगरानी प्रतिवादी संख्या ३ द्वारा मु. बिछियां (विक्रेता) के विरूद्ध दायर की गयी थी। यह भी जानकारी नही दी गयी कि, मु० बिछिया जिन्दा है। यदि मृत्यु हो गयी है, तो क्या उसके वारिसान निगरानी की पत्रावली पर थे, या नही, जैसा पूर्व में उल्लेखित किया गया है कि याची ने आक्षेपित आदेश में

उल्लेखित, सभी आदेश, इस याचिका के साथ संलग्न नही किये है और यह कि याचिका के तथ्य भी उचित काल क्रम में अभिलेखित नही किये गये हैं। दूसरी निगरानी संख्या ५६ (निहोर आदि बनाम बिछियां) की स्थिति के बारे में भी याचिका पूर्ण रूप से शान्त है। इस सबका प्रतिकूल प्रभाव प्रार्थी की प्रार्थना पर हो सकता है।

२. <u>प्रार्थी का पक्ष</u>

(क). याची का पक्ष उसके विद्वान अधिवक्ता श्री हरेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा रखा गया कि, प्रत्यर्थी संख्या ३ ने कथित रूप से स्वयं को बिछिया व बीरबल का पुत्र घोषित किया है, जबकि बिछिया व बीरबल का कोई वारिस नही था। प्रत्यर्थी संख्या ३, राम निहोर का पुत्र था। प्रत्यर्थी संख्या ३ का उपरोक्त दावा निराधार व कपटपूर्ण था।

(ख). याची के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कथन के पक्ष में दो दस्तावेजो पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया। पहला कि प्रत्यर्थी संख्या ३ द्वारा एक घोषणात्मक वाद धारा २२९-बी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० के अंतर्गत मु. बिछिया, बेवा बीरबल के विरूद्ध (वाद संख्या ७१) दाखिल किया था, जिसमें एक वाद बिन्दु यह भी था, कि क्या प्रत्यर्थी संख्या ३ बीरबल मृतक का वारिस है। जिसको सकारण नकारात्मक रूप से निस्तारित किया गया था व वाद भी आदेश दिनांक २४.०५.८४ द्वारा निरस्त कर दिया गया था। दूसरा कि प्रत्यर्थी संख्या ३ के विरूद्ध इसी कारण से एक दाण्डिक अभियोग लगाया गया था तथा आपराधिक वाद संख्या ४३५/९५ में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक १०.०९.९६ द्वारा अपराधी अरविन्द

कुमार (प्रत्यर्थी संख्या ३) को धारा ४२० भा.दं.सं. के आरोप में दोष सिद्ध किया गया था और २ वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित भी किया गया था।

(ग). विद्वान अधिवक्ता यह भी आवेदन किया गया कि निगरानी कर्ता ने सही तथ्य, उप संचालक चकबन्दी के समक्ष प्रस्तुत नही करें, कि जब निगरानी कर्ता का विक्रेता से कोई संबंध नही था, जब वो उसका वारिस भी नही था और वो इस विवाद का वाद भी हार चुका था, तो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के द्वारा विक्रय करने की अनुमति पूर्णतः विधिक थी और उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही थी।

३.<u>प्रत्यर्थी संख्या ३ का पक्ष</u>

प्रत्यर्थी संख्या ३ के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरजीत सिंह ने उपरोक्त बहस का विरोध किया, कि जब विक्रय करने की अनुमति आदेश दिनांक २१.०९.८२ द्वारा प्रदान की गयी थी, तब अविवादित रूप से एक वरासत का वाद, विक्रेती व प्रत्यर्थी संख्या ३/निगरानी कर्ता के मध्य में लंबित था और उसी को आधार मानते हुए आक्षेपित आदेश पारित हुआ था, जो तथ्यों की दृष्टि से उचित है। याचिका कर्ता जिन दस्तावेजो पर अपना वाद निर्धारित करवाना चाह रहा है, वो निगरानी के बहस के दौरान प्रस्तुत नही किये गये थे और पहली बार इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है, इसलिए उन पर ध्यान नही दिया जा सकता।

४. <u>राज्य का पक्ष</u>

श्री ए.के.राय, अपर मुख्य स्थायी, अधिवक्ता नें यह आवेदन किया कि याचिका में सभी तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किये गये है।

५. <u>विश्लेषण व निष्कर्ष</u>

(क). जैसा पूर्व में उल्लेखित किया गया है, याचिका कर्ता ने वर्तमान याचिका में सम्पूर्ण तथ्यों का एवं उनसे संबंधित आदेशों की प्रति के साथ उल्लेख नही किया है। आदेश दिनांक २०.०२.९६ व ०३.०९.९६ की प्रति भी याचिका के साथ संलग्न नही है। साथ ही साथ आदेश दिनांक २०.१२.२००० की प्रति भी उपलब्ध नही है। और न ही दोनो निगरानी की प्रति संलग्न है। याचिका में दूसरी निगरानी के संबंध में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख भी नही किया है। याची ने अपनी इच्छानुसार तथ्यों का उल्लेख किया है और इच्छानुसार तथ्यों को छुपाया या स्पष्ट रूप से उल्लेख नही किया है। यह कृत्य अप्रशंसनीय है।

(ख). इस स्तर पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय **श्री के जयराम व अन्य प्रति बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी व अन्य : (२०२२) १२ एस सी सी ८१५** से निम्न अंश का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगाः-

> " ३८-....*<u>स्थापित विधि के अनुसार,जो पक्ष संविधान के अनुच्छेद ३२ के अंतर्गत इस न्यायालय या अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार को आहूत करता है, तो यह माना जाता है कि वो सत्यवादी, स्पष्टवादी और विवर्त होगा। उसे बिना किसी निग्रह से सभी वस्तुगत तथ्यों को उद्घाटित करना</u>*

चाहिए, भले ही वे उसके विरुद्ध हों । उसको तथ्यों की 'छुपा-छुपी' (हाईड एंड सीक) खेलने या उनका 'चयन और चुनने' (पिक एंड चूज़) करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिन्हें वह प्रकट और छुपाना (पर्दा डालना) या वो अन्य तथ्य जिनको उद्घाटित नहीं करना (छिपाना) पसंद करता है। आज्ञापत्र क्षेत्राधिकार का मूल आधार, सत्य व पूर्ण (सही) तथ्यों के प्रकटन पर आधारित है।अगर वस्तुगत तथ्य छुपाये या विकृत किये जाते है तो आज्ञापत्र न्यायालय की कार्यवाही ही और उपयोग असंभव हो जायेगा । याचिकाकर्ता को बिना किसी निग्रह के वांछित अनुतोष पर प्रभाव कारित करने वाले सभी तथ्यों को अवश्य ही उद्घाटित करना है।ऐसा इसलिए क्योंकि "न्यायालय विधि को तो जानता है लेकिन तथ्यों को नहीं।"

(देखे : श्री के जयराम व अन्य प्रति बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी व अन्य : (२०२२) १२ एस सी सी ८१५) का प्रस्तर संख्या ३८)
(हिन्दी में अनुवाद न्यायालय द्वारा किया गया है।)
(रेखांकित कर प्रमुखता न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी है।)

(ग). प्रार्थी ने यह भी उल्लेख नही किया है कि दीवानी वाद व आपराधिक प्रकरण के निर्णय की प्रति निगरानी की पत्रावली पर दायर की थी, या नही। अतः प्रार्थी ने वस्तुगत व आधार भूत तथ्यों को छुपाया है या उनको विकृत रूप में प्रस्तुत किया है। अतः वो वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इसके अतिरिक्त सभी प्रभावित पक्षकारों को वर्तमान याचिका में पक्षकार भी नही बनाया है। इस याचिका में उचित पक्षकारो के असंयोजन के कारण भी वांछित अनुतोष नही दिया जा सकता। इन सबके अतिरिक्त भी

यह भी अविवादित है कि जब विक्रेता को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गयी थी तब वरासत का वाद पक्षों के मध्य लम्बित था और विक्रेता द्वारा उसकी सूचना भी चकबन्दी अधिकारी बन्दोबस्त को नही दी गयी थी। अतः अनुमति का आदेश विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी विधि पूर्वक स्वीकार की गयी थी और विक्रय करने की अनुमति को उपरोक्त आदेश निरस्त करने का आदेश भी इसी कारण न्याय संगत है।

(६). वर्तमान याचिका रू० ५०००/- के आर्थिक दण्ड के साथ निरस्त की जाती है और यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के फलस्वरूप होने वाले सभी विधिक परिणामों का अनुसरण होगा।

आदेश दि०/- ०९.१०.२०२३
अवधेश

[न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी]

Digitally signed by :-
AWADESH KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad